म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/MIS/सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे/2020–21/215-1 भोपाल, दिनांक 16/12/2021

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति, समस्त
जिला – समस्त

विषय :– मंडी प्रांगण में स्थापित सी0सी0टी0व्ही0 कैमरों के संबंध में।

संदर्भ :– कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 09.11.2021 का कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि आपके मंडी प्रांगण में स्थापित सी0सी0टी0व्ही0 कैमरों का रख–रखाव कराते हुये समस्त सी0सी0टी0व्ही0 कैमरें चालू स्थिति में रहे तथा कैमरों में रिकार्ड होने वाली प्रत्येक घटना का प्रतिदिन परीक्षण कर अप्रिय घटना दृष्टिगोचर होने पर तत्काल नियम अनुसार कार्यवाही करें।

प्रवेश होने वाले कृषि उपजों के वाहनों के अनुपात में जावक के समय निकासी का मिलान प्रतिदिन होने वाली आवक से करें। भरे हुये भारी वाहनों की निकासी का भी निरीक्षण सी0सी0टी0व्ही0 कैमरों में प्रतिदिन करें। किसी भी स्थिति में सी0सी0टी0व्ही0 कैमरें बंद नहीं होने चाहिये। सी0सी0टी0व्ही0 कैमरों में होने वाली रिर्काडिंग मंडी समिति के पास कम से कम 15 दिवस तक सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था समस्त मंडी सचिव करें।

अपर संचालक (एम0आई0एस0)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/MIS/सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे/2020–21/215-2 भोपाल, दिनांक 16/12/2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, समस्त की ओर लेख है कि आप अपने अंचल की मंडी समितियों में स्थापित सी0सी0टी0व्ही0 कैमरों का निरीक्षण समय समय पर करते रहे।
2. अधीक्षण यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक (एम0आई0एस0)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल